REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062022-236514 CG-DL-E-11062022-236514

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2022/ज्येष्ठ 20, 1944
No. 293]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2022/JYAISTHA 20, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2022

सं. बीईई/एस एंड एल/रेफ/70/2021-22.—कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, का.आ. 183(अ), दिनांक 12 जनवरी, 2009 और का.आ. 1899 (अ), दिनांक 26 मई, 2016 में प्रकाशित किया गया जिसे ब्यूरो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में प्रस्तावित करता है, अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (एन) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी; उस तारीख से उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त सूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा।

यदि कोई आक्षेफ या सुझाव हो, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक, विद्युत मंत्रालय, चौथी मंजिल, सेवा भवन, आर.के.पुरम, सेक्टर -1, नई दिल्ली -110066 पते पर भेजा जा सकता है; उपरोक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। -(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) "रेफ्रिजरेटर" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (बी) के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट उपकरण अभिप्रेत है;

(ग) "फॉर्म" से इन विनियमों से जुड़ा फॉर्म अभिप्रे है;

(घ) "लेबल" से रेफ्रिजरेटर पर चिपका या दिखाई देने वाला कोई लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;

(ड़) "लेबल अवधि" का अर्थ है धारा 14 के खंड (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक के तहत तुलनात्मक विद्युत की खपत की वैधता अवधि और यदि तुलनात्मक विद्युत की खपत की वैधता अवधि की समाप्ति अवधि अधिसूचित नहीं है, तो इसे तब तक वैध माना जाएगा जब तक कि इसके लिए नए मूल्य केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किए जाते हैं;

(च) "मॉडल या मॉडल का परिवार" से एक विशेष ब्रांड के मॉडल या मॉडल की श्रेणी अभिप्रेत है, जिसके लिए परीक्षण रिपोर्ट का एक समूह लागू होता है और जहां प्रत्येक मॉडल में समान भौतिक विशेषताएं, वार्षिक विद्युत की खपत, ऊर्जा दक्षता स्तर और प्रदर्शन विशेषताएं होती हैं;

(छ) "अनुमति प्राप्त" से उस व्यक्ति या एजेंसी अभिप्रेत है जिसे विनियम 7 के तहत लेबल लगाने की अनुमति दी गई है;

(ज) "स्टार रेटिंग या स्टार लेवल" का मतलब रेफ्रिजरेटर के आपेक्षिक विद्युत खपत को दर्शाने के लिए अधिनियम की धारा 14 के खंड (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक के आधार पर रेफ्रिजरेटर के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड है;

(झ) किसी लेबल वाले रेफ्रिजरेटर के संबंध में "व्यापारी या विक्रेता" का अर्थ ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे किसी रेफ्रिजरेटर को बेचता है या वितरित करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, निर्माता और अनुज्ञाधारक शामिल हैं जिन्हें ऐसे रेफ्रिजरेटर पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई है।

(ञ) "अनुसूची" से इन विनियमों से जुड़ी अनुसूची अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं,वहीं अर्थ हैं, जो अधिनियम में हैं।

3. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण - (1) प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर, उसके लेबल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो;

(ख) निर्माता या आयातक और ब्रांड का नाम;

(ग) उपकरण प्रकार;

(घ) कुल मात्रा;

(ड़) मॉडल संख्या और निर्माण या आयात का वर्ष;

- (च) यूनिक सीरिज कोड;
- (छ) प्रति वर्ष इकाइयों में विद्युत की खपत;
- (ज) स्टार लेबल; और
- (झ) लेबल अवधि

(2) लेबल का डिज़ाइन, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों से संबंधित अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।

4. लेबल प्रदर्शित करने की समय सीमा: - (1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विवरणों वाला एक लेबल इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 14 के खंड (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के शुरू होने पर, प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी या व्यापारी या विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) बिक्री पर रखा रेफ्रिजरेटर संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ सिंक्रनाइज़ करते हुए संशोधित स्टार लेबल और संशोधित लेबल अवधि प्रदर्शित करेगा और रेफ्रिजरेटर के निर्माण वर्ष भी ऐसे संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ सिंक्रनाइज़ेशन में होंगे और पिछले ऊर्जा खपत मानकों के साथ रेफ्रिजरेटर का उत्पादन नहीं करेंगे;

(ख) इन विनियमों के तहत डीलरों, खुदरा विक्रेताओं के बारे में जागरूकता, उनकी शिक्षा के साथ-साथ उपभोक्ताओं
की शिक्षा के लिए आवश्यक प्रचार सहित सभी प्रारंभिक कदम सुनियोजित और ऐसे शुरू होने की तारीख से छह महीने
पहले लिए जाएंगे।

5. लेबल प्रदर्शित करने का तरीका -(1) प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर बिक्री के स्थान पर क्यूआर कोड के साथ लेबल प्रदर्शित किया जाएगा और ऐसा लेबल रेफ्रिजरेटर पर निम्नलिखित तरीके से चिपकाया जाएगा, अर्थात्:-

(क) रेफ्रिजरेटर के ऊपरी दाहिने हिस्से के सामने की तरफ चिपका हुआ क्यूआर कोड के साथ स्वयं चिपकने वाला लेबल;

(ख) कार्टन बॉक्स के सामने की तरफ क्यूआर कोड के साथ स्वयं चिपकने वाला लेबल।

(2) रेफ्रिजरेटर के प्रदर्शन पर नहीं होने के लिए, लेबल को पैकिंग के बाहरी हिस्से में चिपकाया जा सकता है और बिक्री पर रखे जाने पर लेबल को यूनिट से जोड़ा जा सकता है।

6. लेबल प्रदर्शित करने की अनुमति - (1) ब्यूरो की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना रेफ्रिजरेटर पर कोई स्टार लेबल नहीं लगाया जाएगा।

(2) कंपनी का पंजीकरण - ब्यूरो की अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड को अलग से पंजीकृत किया जाएगा जैसा कि फॉर्म I - (ए) में निर्दिष्ट है, एक लाख रुपये के लेबल सुरक्षा शुल्क के साथ, भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय होंगे। :

परन्तु लघु उद्योग के मामले में लेबल सुरक्षा शुल्क केवल पच्चीस हजार रुपये देय होगा।

- (3) मॉडल पंजीकरण- उप-विनियम (2) के तहत अनुज्ञा-पत्र धारी के प्रत्येक आवेदन के साथ-
- (क) भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय प्रति मॉडल दो हजार रुपये का आवेदन शुल्क; और

(ख) फॉर्म I - (बी) में निर्दिष्ट दस्तावेज

7. अनुमति प्रदान करना - (1) विनियम 6 के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर और संतुष्ट होने के बाद कि सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है, ब्यूरो, मानकों और लेबलिंग पर अपने मैनुअल में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है और विनियम 8 में विनिर्दिष्ट शर्तें हैं, -

(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म II-(ए) में ब्रांड पंजीकृत करना; और

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म II-(बी) में रेफ्रिजरेटर पर लेबल लगाने की अनुमति देना।

(2) ब्यूरो प्रपत्र III में एक रजिस्टर रखेगा और उसमें अनुज्ञा-पत्र धारी का नाम दर्ज करेगा।

(3) उप-विनियम (1) के तहत इस प्रकार दी गई अनुमति उस अवधि के लिए वैध होगी जब तक कि धारा 14 के खंड (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा निर्दिष्ट स्टार लेबल लागू है।

(4) स्टार रेटिंग योजना के संशोधन के मामले में, अनुमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन छह महीने से लेकिन इसकी समाप्ति से तीन महीने पहले नहीं किया जाएगा और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में एक हजार रुपये का शुल्क देय होगा।

स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, एक हजार रुपये के उक्त नवीनीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी।

(5) वैधता अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी आवेदन का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, जिस स्थिति में अनुज्ञापी एक नया आवेदन करेगा।

(6) उप-विनियम (4) के तहत नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और संतुष्ट होने के बाद कि सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है, ब्यूरो, ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर, फॉर्म II में अनुमति को नवीनीकृत कर सकता है।

(7) जिस तारीख से संशोधित स्टार लेवल लागू होता है, उस तारीख से रेफ्रिजरेटर के मौजूदा मॉडल पर लेबल लगाने के लिए जारी रखने की अनुमति मांगने वाला अनुज्ञा-पत्र धारी केवल फॉर्म IV में घोषणा प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि रेफ्रिजरेटर के नए मॉडल को संशोधित स्टार स्तर के साथ सिंक्रोनाइज़ करने के लिए लॉन्च करने की योजना है, तो अनुज्ञा-पत्र धारी नए सिरे से लेबल लगाने की अनुमति मांगेगा और इस तरह की अनुमति के लिए आवेदन संशोधित स्टार स्तर के लागू होने से छह महीने पहले किया जा सकता है।

8. लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए नियम और शर्तें।- प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी, व्यापारी और विक्रेता लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने में निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करेंगे, अर्थात्: -

(क) रेफ्रिजरेटर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित रेफ्रिजरेटर के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा;

(ख) लेबल केवल रेफ्रिजरेटर के ऐसे मॉडल पर लगाया जाएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है;

(ग) अनुज्ञा-पत्र धारी की कीमत पर लेबल मुद्रित और रेफ्रिजरेटर पर चिपका दिया जाएगा;

(घ) अनुज्ञा-पत्र धारी, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि रेफ्रिजरेटर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;

(ड़) अनुज्ञाप्राप्ति विनियम 9 में विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;

(च) अनुज्ञा-पत्र धारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले महीने के भीतर ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत
करेगा जिसमें लेबल किए गए उपकरणों के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए अर्जित लेबलिंग शुल्क का विवरण होगा;

(छ) अनुज्ञा-पत्र धारी प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के 30 वें दिन तक अपने लेबल वाले उत्पादों को बेचने के लिए नियुक्त अधिकृत वितरकों, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, विक्रेताओं की एक अद्यतन सूची ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा;

(ज) ब्यूरो के मानकों एवं लेबलिंग संबंधी प्रचालन मैनुअल में निहित निबंधन एवं शर्तों सहित ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगा।

9. लेबल शुल्क.- (1) प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी को ब्यूरो को रेफ्रिजरेटर पर चिपकाए गए प्रत्येक लेबल के लिए पांच रुपये की लेबल फीस का भुगतान करना होगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत निर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर वार्षिक रूप से किया जाएगा:

बशर्ते कि इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने पर, ब्यूरो देय राशि को ब्याज सहित दस प्रतिशत की दर से वसूल कर सकता है। विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खंड (बी) के तहत किए गए लेबल सुरक्षा शुल्क से प्रति वर्ष, और यदि जमा करने की अंतिम तारीख के एक वर्ष के भीतर पूर्ण लेबलिंग शुल्क की वसूली नहीं की जाती है, तो ब्यूरो उन सभी लेबलों को रद्द कर सकता है जिन्हें अनुज्ञा प्रदान किया गया है और समाचार पत्रों में डिफॉल्टर के रूप में अनुज्ञा-पत्र धारी का नाम प्रकाशित करें।

10. लेबल सुरक्षा शुल्क की वापसी- विनियम 9 के उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अधीन, अनुज्ञा-पत्र धारी रेफ्रिजरेटर का निर्माण बंद करने पर लेबल सुरक्षा शुल्क की वापसी का हकदार होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन - (1) ब्यूरो या उसकी नामित एजेंसी, या तो स्वप्रेरणा से, या उसके द्वारा प्राप्त शिकायत पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन कर सकती है कि रेफ्रिजरेटर स्टार स्तर और उसके लेबल पर प्रदर्शित अन्य विवरणों के अनुरूप है और यह अनुमति के अन्य नियमों और शर्तों का अनुपालन करता है।

(2) सत्यापन के उद्देश्य के लिए, नमूने को ब्यूरो या इसकी नामित एजेंसी द्वारा विनिर्माण सुविधा, गोदाम या खुदरा आउटलेट से यादृच्छिक रूप से लिया जाएगा, जैसा कि वह उचित समझे और क) ऊर्जा खपत परीक्षण ख) कुल मात्रा के अधीन होगा और ग) परीक्षण नीचे गिरना।

(3) जहां, उप-विनियम (1) के तहत प्राप्त शिकायत पर, ब्यूरो को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र प्रयोगशाला में रेफ्रिजरेटर को चुनौती परीक्षण द्वारा सत्यापन करने की आवश्यकता होती है, एक नोटिस जारी किया जाएगा इस तरह के परीक्षण करने के लिए अनुज्ञा और शिकायतकर्ता को ब्यूरो के साथ परीक्षण, परिवहन और अन्य आकस्मिक खर्चों से संबंधित ऐसे खर्च जमा करने के लिए कहा जाएगा, जैसा कि ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और यदि चुनौती परीक्षण के तहत लिया गया नमूना विफल रहता है, नमूने की लागत, नमूने के परिवहन और परीक्षण शुल्क के सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति अनुज्ञा-पत्र धारी द्वारा ब्यूरो को की जाएगी और ब्यूरो शिकायतकर्ता को उपरोक्त खर्च वापस कर देगा; और जहां उपकरण चुनौती परीक्षण पास करता है, तो शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए खर्च को जब्त कर लिया जाएगा।

(4) जहां परीक्षण के लिए उपयोग किए गए रेफ्रिजरेटर के नमूने स्वत: परीक्षण या चुनौती परीक्षण के दौरान परीक्षण में विफल हो जाते हैं, अनुज्ञा-पत्र धारी को एक और अवसर दिया जाएगा और ब्यूरो पहले परीक्षण में उपयोग किए गए रेफ्रिजरेटर की दुगुनी मात्रा के साथ दूसरा परीक्षण एक स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला में करेगा, जो अनुज्ञा-पत्र धारी की कीमत पर परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त है। ब्यूरो उप-विनियम (3) में संदर्भित चुनौती परीक्षण या उप-विनियम (4) में संदर्भित दूसरे परीक्षण और नमूने की खरीद और परीक्षण के लिए किए जाने वाले खर्चों को देखने के लिए फॉर्म V में परमिट को सूचित करेगा। (5) यदि दूसरा परीक्षण विफल हो जाता है, ब्यूरो निम्न कार्य करेगा, -

(क) सभी राज्य नामित एजेंसियों को सूचित करते हुए फॉर्म VI में अनुज्ञा-पत्र धारी को निर्देश दें, कि अनुज्ञा-पत्र धारी दो महीने की अवधि के भीतर, -

 (i) रेफ्रिजरेटर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक करें या परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करें;

(ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; और

(iii) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरणों को बदले;

(ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में किसी भी अनुज्ञा का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विशिष्टताओं को प्रकाशित करें और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी अन्य तरीके से, जैसा वह उचित समझे, दो महीने के भीतर प्रकाशित करें ;

(ग) संबंधित राज्य नामित एजेंसी को अधिनियम की धारा 27 के तहत अनुज्ञा-पत्र धारी और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए सूचित करें।

(6) अनुज्ञा-पत्र धारी उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट दो महीने की अवधि के समापन के दस दिनों के भीतर, -

(क) निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में ब्यूरो को प्रपत्र VII में अनुपालन रिपोर्ट भेजें; और

(ख) यदि खंड (ए) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी निर्देश का पालन किए बिना प्राप्त या प्राप्त नहीं होती है, तो इसे जारी किए गए निर्देश का अनुपालन नहीं माना जाएगा और उस प्रभाव के आदेश ब्यूरो द्वारा पारित किए जाएंगे।

(7) ब्यूरो खंड (ए) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट की एक प्रति और उप-विनियम (6) के खंड (बी) में पारित आदेशों की एक प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी राज्य नामित एजेंसियों को अधिनियम के धारा 17 और उक्त उप-विनियम के खंड (बी) के तहत पारित आदेशों का प्रवर्तन के तहत कार्रवाई करने के उद्देश्य से भेजेगा।

(8) यदि अनुज्ञा-पत्र धारी उप-विनियम (5) के तहत ब्यूरो द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, ब्यूरो सभी राज्य नामित एजेंसियों को सूचित करेगा, -

(क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के तहत अनुज्ञापी को दी गई अनुमति को वापस लेना;

(ख) अधिनियम की धारा 14 के खंड (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप अनुज्ञा-पत्र धारी द्वारा विफलता के समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजें, के निर्देश केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (सी) के तहत विचार करने और कार्रवाई करने के लिए ब्यूरो को उप-विनियम (6) के खंड (ए) में संदर्भित किया गया है;

(ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से किसी भी परमिट के नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और जैसा वह उचित समझे दो महीने के भीतर अन्य विनिर्देश प्रकाशित करें ;

(घ) संबंधित राज्य नामित एजेंसियों को अधिनियम की धारा 27 के तहत परमिट और व्यापारी के खिलाफ आगे की न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए सूचित करें।

12. अनुमति का निरस्तीकरण - ब्यूरो विनियम 7 के तहत दी गई अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि अनुज्ञा-पत्र धारी -

(क) विनियम 8 के तहत निर्दिष्ट किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है;

(ख) विनियम 9 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है;

(ग) विनियमन 11 के तहत जारी निर्देशों का पालन नहीं करता है।

परंतु यह कि अनुज्ञापत्रधारी को मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई अनुमति रद्द नहीं की जाएगी।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./113/2022-23]

फॉर्म I - (क)

[देखें विनियमन 6 (2)]

(कंपनी के लेटर हेड पर प्रिंट किया जाना है)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके कार्यप्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियमन, 2022 के तहत रेफ्रिजरेटर ब्रांड के पंजीकरण हेतू आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110 066 भारत।

मैं/हम वितरण ट्रांसफॉर्मर के निर्माता/निर्माता हूँ/हैं जोकी शैली के तहत एवं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (रेफ्रिजरेटर रहा हँ/रहे हैं। (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम).....की शैली के तहत एवं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (रेफ्रिजरेटर पर लेबल के उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीके) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट रेफ्रिजरेटर पर लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन कर रहा हँ/रहे हैं।

उपकरण, कंपनी, विनिर्माण अधिष्ठान, सुविधा और भुगतान के संबंध में सूचना एवं जानकारी का विवरण/ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। फर्मों या समितियों (सोसाइटियों) के रजिस्ट्रार या उद्योग निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों के मामले में) या फर्म और उसके विनिर्माण परिसर के नाम को प्रमाणित करने वाले इसी तरह के अन्य दस्तावेजों द्वारा जारी निगमन के प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी संलग्न हैं।

(a) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्तिःव्यक्तिःव्यक्ते प्राधिकरणों की ओर से यह आवेदन करने के लिए अधिकृत है। और इस आवेदन के साथ प्रदान की गई जानकारी की सटीकता के लिए जिम्मेदार होगा।

(b) संपर्क व्यक्ति (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए संपर्क व्यक्ति होने के लिए अधिकृत है।

(c) मैं/हम उपरोक्त (a) या (b) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में किसी भी परिवर्तन एवं बदलाव के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूँ/देते हैं :

3. उत्पादन और उक्त उपकरण की बिक्री के आंकड़े और इनका मूल्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और अनुमानों के अनुसार के निम्न प्रकार हैः

साल	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
पिछले सालसे लेकर से लेकरने के लिए			
वर्तमान वर्षसे			
तक (अनुमान)			

4. एक लाख रुपये या पच्चीस हजार रुपये का लेबल सुरक्षा शुल्क, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान किया गया है (केवल लेबल सुरक्षा शुल्क जमा करने के समय ही भरा जाना है)।

मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबलिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और इसके द्वारा की जाने वाली किसी भी जाँच के मामले में ब्यूरो को आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

7. मैं/हम सत्यापन और चुनौती परीक्षण हेतू नमूने के चयन के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को अधिकृत करता हूँ/हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

8. मैं/हम यह वचन देते हैं कि इस आवेदन में प्रदान की गई सूचना एवं जानकारी मेरी/हमारी जानकारी, सर्वोत्तम ज्ञान और अनुमानों के अनुसार सही है, और यदि प्रदान की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है; तो आवेदन को तत्काल अस्वीकार एवं खारिज किया जा सकता है।

दिनांकित

दिन (वर्ष)	
हस्ताक्षर	•
नाम	•
पद	
के लिए और की ओर से	
(फर्म का नाम) फर्म की महर	

अनुलग्नक [देखें फॉर्म I का पेरा 2 - (।)]

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फ़ैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
पंजीकरण का समर्थन हेतू संलग्नक:	

(क) विनिर्माण या व्यावसायिक परिसर	
के नाम और पते को प्रमाणित करने वाला	हाँ/ नहीं
दस्तावेज़	
(ख) ट्रेड मार्क प्रमाण पत्र	
(ग) लघु उद्योग प्रमाण पत्र, यदि लागू हो	
(घ) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र	
(ड.) प्राधिकृत हस्ताक्षरी पत्र	
(च) भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस, यदि	
लागू हो	
(छ) भुगतान के लिए भुगतान रसीद	
ऑनलाइन की जाती है	

2. विनिर्माण परिसर का विवरण (एक से अधिक विनिर्माण सुविधाओं के मामले में अलग से एक तालिका प्रदान की जा सकती है)

विनिर्माण <u>अधिष्ठान</u> का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य / देश	
फोन नंबर	
फ़ैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विवरण (यदि कोई हो)	

हस्ताक्षर
नाम
पद
के लिए और की ओर से

(फर्म का नाम) फर्म की मुहर

फॉर्म/प्रपत्र I- (ख)

(देखें विनियमन 6)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण एवं तरीका) विनियमन, 2022 के तहत रेफ्रिजरेटर पर लेबल चिपकाने एवं लगाने की अनुमति के लिए आवेदन।

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर-1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110 066, भारत।

मैं/हम वितरण ट्रांसफॉर्मर के निर्माता/निर्माता हूँ/हैं जोकी शैली के तहत एवं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (रेफ्रिजरेटर रहा हँ/रहे हैं। (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम).....की शैली के तहत एवं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (रेफ्रिजरेटर पर लेबल के उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीके) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट रेफ्रिजरेटर पर लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन कर रहा हँ/रहे हैं।

2. विनिर्माण अधिष्ठानः उपरोक्त उपकरण ------ (कंपनी का नाम) द्वारा निर्मित या आयात किया गया है और -------(कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित किया गया है।

3. जानकारी का विवरणः उपकरण, कंपनी, विनिर्माण अधिष्ठान, सुविधा और भुगतान के संबंध में सूचना एवं जानकारी का विवरण/ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। फर्मों या समितियों (सोसाइटियों) के रजिस्ट्रार या उद्योग निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों के मामले में) या फर्म और उसके विनिर्माण परिसर के नाम को प्रमाणित करने वाले इसी तरह के अन्य दस्तावेजों द्वारा जारी निगमन के प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी संलग्न हैं।

(क) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्तिःविक्र प्राधिकरणों की ओर से यह आवेदन करने के लिए अधिकृत है। और इस आवेदन के साथ प्रदान की गई जानकारी की सटीकता के लिए जिम्मेदार होगा।

(ख) संपर्क व्यक्तिः (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए संपर्क व्यक्ति होने के लिए अधिकृत है।

(ग) मैं/हम उपरोक्त (क) या (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में किसी भी परिवर्तन एवं बदलाव के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूँ/देते हैं :

4. मानकों के अनुरूपः मैं/हम ------ (उपकरण का नाम) के लिए (अधिसूचना का शीर्षक) पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता प्रणाली/अन्य मानकों के संबंध में आईएस/अन्य (मानक का नाम और संख्या)...... के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो/अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हूँ/हैं। उपरोक्त उपकरणों के संबंध में लाइसेंस/प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न है।

मैंने/हमने उपकरण की गुणवत्ता में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंतरिक प्रयोगशाला ------ या एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला ------- (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण की व्यवस्था की है।

स्वतंत्र प्रयोगशाला विवरणः

- क) परीक्षण विवरण (परीक्षण प्रक्रिया/नाम/संख्या)
- ख) प्रत्यायन स्थितिः
- ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की मंजूरीः

5. मेरी/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और अनुमानों के अनुसार उक्त उपकरण के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े और उनका मूल्य निम्नानुसार हैः

साल	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा
			मूल्य (रु.)
पिछले सालतक करने के लिए			
वर्तमान वर्षसे			
तक (अनुमान)			

6. (क) इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान किए गए दो हजार रुपये का आवेदन शुल्क।

(ख) एक लाख रुपये या पच्चीस हजार रुपये के लेबल सुरक्षा शुल्क का भुगतान..... द्वारा किया गया है।

(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबलिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और इसके द्वारा की जाने वाली किसी भी जाँच के मामले में ब्यूरो को आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

8. मैं/हम सत्यापन और चुनौती परीक्षण हेतू नमूने के चयन के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को अधिकृत करता हूँ/हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

9. मैं/हम यह वचन देते हैं कि इस आवेदन में प्रदान की गई सूचना एवं जानकारी मेरी/हमारी जानकारी, सर्वोत्तम ज्ञान और अनुमानों के अनुसार सही है, और यदि प्रदान की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है; तो आवेदन को तत्काल अस्वीकार एवं खारिज किया जा सकता है।

दिनांकित

दिन (वर्ष)	
हस्ताक्षर	•
नाम	•
पद	•
के लिए और की ओर से	•

(फर्म का नाम) फर्म की मुहर

अनुलग्नक

[देखें फॉर्म 1(ख) का पैरा 3]

जानकारी का विवरण

1. उत्पाद / उपकरण विवरण

1.1 सामान्य

उपकरण

प्रकार (उदाहरण के लिए, सिंगल डोर या डबल डोर, डायरेक्ट कूल, फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर, साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर)

ऑपरेटिंग सिद्धांत (संपीड़न)
जलवायु वर्ग (उष्णकटिबंधीय टी)
ब्रैंड
मॉडल का नाम / संख्या
विनिर्माता/आयातक का नाम
विनिर्माता का पता
रेटेड कुल मात्रा (लीटर)
निर्माण का महीना और वर्ष
भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाण पत्र का विवरण (यदि कोई हो)
(लाइसेंस/प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
गुणवत्ता सिस्टम प्रमाणपत्र विवरण
(लाइसेंस/प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
वार्षिक बिजली की खपत (किलोवाट घंटा प्रति वर्ष)
पुल-डाउन टाइम (न्यूनतम)

1.2 तकनीकी विवरण

क्रमांक सं.	मॉडल का , .		मापा गया मान		घोषित मान			टिप्पणियाँ
	नाम/संख्या	कुल मात्रा (लीटर)	वार्षिक बिजली की खपत (किलोवाट घंटा / वर्ष)	स्टार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	कुल मात्रा (लीटर)	ऊर्जा खपत (किलोवाट घंटा / वर्ष)	स्टार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	

2. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम:	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	

फ़ैक्स नं.	
ई-मेल	
वेब साइट	
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम	

3. विनिर्माण परिसर का विवरण

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फ़ैक्स नं.	
ई-मेल	
वेब साइट	
कोई अन्य विवरण	
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम	

4. परीक्षण प्रयोगशाला का विवरण

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन स्थिति	
्रायायमा स्थात (मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
्र मान्यता की वैधता	
(समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)	
प्रत्यायन का क्षेत्र	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फ़ैक्स नंबर	
ईमेल	
वेबसाइट	

5. लेबलिंग की जानकारी

प्रारंभ होने की तारीख	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए <u>प्रयुक्त</u> लेबलों की संख्या	
पहले साल के लिए -	
दूसरे साल के लिए -	
तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पाद क्रमांक	से तक

6. भुगतान विवरण

	कुल राशि	भुगतान का विवरण
आवेदन शुल्क		
सुरक्षा जमा राशि		

7. रेफ्रिजरेटर पर चिपकाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया हैः



दिनांकित

दिन (वर्ष).....

हस्ताक्षर
नाम
पद
के लिए और की ओर से
(फर्म का नाम) फर्म की मुहर

फॉर्म II - (क)

[देखें विनियम 7(1) (क)]

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण एवं तरीका) विनियम, 2022 के तहत रेफ्रिजरेटर के ब्रांड हेतू पंजीकरण की अनुमति

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में,

.....

.....

1. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, ब्यूरो एतद्वारा आपको इस पत्र के अनुलग्नक में निर्धारित अनुमोदनों के विवरणानुसार अपने ब्रांड को पंजीकृत करने की अनुमति देता है।

2. यह अनुमति के अधीन है -

- (क) रेफ्रिजरेटर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत अधिसूचित रेफ्रिजरेटर के लिए ऊर्जा खपत मानकों और उपरोक्त विनियमनों में प्रदान किए गए नियमों और शर्तों के अनुरूप होगा;
- (ख) केवल रेफ्रिजरेटर के ऐसे मॉडल पर लेबल की मोहर लगाई जाऐगी जिसके लिए अनुमति दी गई होगी;
- (ग) रेफ्रिजरेटर पर लेबल की छपाई और चिपकाना अनुज्ञाधारक (परमिटी) की लागत पर होगा;
- (घ) अनुज्ञाधारक (परमिटी) यह सुनिश्चित करेगा कि रेफ्रिजरेटर पर प्रदर्शित स्टार स्तर को हर समय बनाए रखेगा;
- (ड.) ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान अनुज्ञाधारक (परमिटी) द्वारा किया जाऐगा;
- (च) अनुज्ञाधारक (परमिटी) वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले महीने के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय लेबल उपकरण और अर्जित लेबलिंग शुल्क के विवरण वाले ब्यूरो को विवरण प्रस्तुत करेगा। वही विवरण एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से ब्यूरो को भी प्रस्तुत किया जाऐगा;
- (छ) अनुज्ञाधारक (परमिटी) ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर रेफ्रिजरेटर के ऐसे अन्य विवरण भी उपलब्ध करायेगा जिसकी अनुमति प्रदान की गई है।

 अनुज्ञाधारक (परमिटी) ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के बिना और पूर्वानुमोदन के अलावा वैधता अवधि के दौरान बाजार से पंजीकृत ब्रांड और रेफ्रिजरेटर को वापस नहीं लेगा।

 ब्रांड के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा निर्दिष्ट यूनीक लेबल सीरीज कोड है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।

5. हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकितमाह.....म वर्ष......दिन।

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुलग्नक

[देखें फॉर्म II-(क) का पैरा 1]

स्वीकृतियों का विवरण

1.कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ईमेल	
वेबसाइट	

2. पंजीकृत ब्रांड का नामः

3. यूनीक सीरीज कोडः

4. अन्य विवरण यदि लागू होः

तारीख:

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

फॉर्म II(B)

[देखें उप-विनियमन 7(1)(ख)]

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के तहत रेफ्रिजरेटर पर लेबल लगाने/नवीनीकरण करने की अनुमति सेवा में,

.....

.....

1. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी **(रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके कार्यप्रदर्शन का विवरण और तरीका)** विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, ब्यूरो आपको एतद्वारा इस पत्र के अनुलग्नक में निर्धारित अनुमोदनों के विवरण के अनुसार लेबल लगाने की अनुमति देता है।

2. यह अनुमति के अधीन है-

(क) रेफ्रिजरेटर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम के खंड (क) धारा 14 और पूर्वोक्त विनियमनों में प्रदान किए गए नियमों और शर्तों के तहत अधिसूचित रेफ्रिजरेटर के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा;

(ख) रेफ्रिजरेटर के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है;

(ग) रेफ्रिजरेटर पर लेबल की छपाई और लेबल का चिपकाना अनुमती (परमिटी) की कीमत पर होगा;

(घ) अनुज्ञाधारक (परमिटी) यह सुनिश्चित करेगा कि रेफ्रिजरेटर पर प्रदर्शित स्टार स्तर को हर समय बनाए रखेगा;

(ड.) अनुज्ञाधारक (परमिटी) प्रति लेबल पाँच रुपए की लेबल फीस का भुगतान करेगा;

(च) अनुज्ञाधारक (परमिटी) वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले महीने के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय लेबल उपकरण और अर्जित लेबलिंग शुल्क के विवरण वाले ब्यूरो को विवरण प्रस्तुत करेगा। वही विवरण एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से ब्यूरो को भी प्रस्तुत किया जाऐगा ;

(छ) अनुज्ञाधारक (परमिटी) ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर रेफ्रिजरेटर के ऐसे अन्य विवरण भी उपलब्ध करायेगा जिसकी अनुमति प्रदान की गई है।

3. यह अनुमति से के लिए वैध होगी। और निर्धारित विनियमों के अनुसार ही नवीनीकृत किया जा सकता है। अनुज्ञाधारक (परमिटी) ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के बिना और पूर्वानुमोदन के अलावा वैधता अवधि के दौरान बाजार से रेफ्रिजरेटर को वापस नहीं लेगा।

4. उपकरण के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा निर्दिष्ट अद्वितीय लेबल श्रृंखला कोड है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।

5. यदि केंद्र सरकार द्वारा समीक्षा किये जाने पर स्टार स्तर के प्लानों को संशोधित किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के स्टार स्तर को निम्नानुसार संशोधित किया जाऐगाः -

(क) यदि संशोधित स्टार स्तर के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए एक नया मॉडल लॉन्च किया जाता है, तो इस तरह की अनुमति के लिए एक आवेदन ब्यूरो को उस तारीख से छह महीने पहले किया जाएगा जहां से नया स्टार स्तर लागू होता है;

(ख) जहाँ मौजूदा मॉडल को संशोधित स्टार स्तर को प्रभावी बनाने के लिए जारी रखा जाता है, एक घोषणा केवल फॉर्म II में ही ब्यूरो को प्रस्तुत की जाऐगी।

6. हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकितमाह...... वर्ष......दिन।

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुलग्नक

[देखें फॉर्म II (ख) का पैरा 1]

स्वीकृतियों का विवरण

उपकरण का विवरण 1.

उपकरण और प्रकार
ांड
गॅडल का नाम / संख्या
कुल मात्रा
नेर्माण का वर्ष

क्रमांक	मॉडल का	मापा गया मान				घोषित मान		टिप्पणियाँ
सं.	नाम/संख्या	कुल मात्रा (लीटर)	वार्षिक बिजली की खपत (किलोवाट घंटा / वर्ष)	स्टार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	कुल मात्रा (लीटर)	ऊर्जा खपत (किलोवाट घंटा / वर्ष)	स्टार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	

2. लेबल विवरण

उपकरण	
प्रकार	
निर्माता/आयातक/ब्रांड का नाम	
मॉडल का नाम / संख्या	
निर्माण का वर्ष	
कुल मात्रा (लीटर)	
वार्षिक बिजली खपत (किलोवाट घंटा/वर्ष)	
स्टार स्तर	
लेबल अवधि	

3. रेफ्रिजरेटर पर चिपकाए जाने वाले ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है।



पत्र में प्रदान किए गए यूनीक लेबल सीरीज कोड का उल्लेख रेफ्रिजरेटर पर चिपकाए गए लेबल में किया जाना चाहिए।

4. लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेबल और रंग योजना की सामग्री अनुसूची में निर्दिष्ट रूप के अनुसार ही होगी।

दिनांकित दिन (वर्ष).....

हस्ताक्षर
नाम
पद
के लिए और की ओर से

(फर्म का नाम) फर्म की मुहर

फॉर्म III

[देखें विनियमन 7 का उप-विनियम (2)]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा बनाए रखने के लिए अनुज्ञाधारकों (परमिटियों) का रजिस्टर (टेम्पलेट)

क्रमांक	आवेदन संख्या और अनुमति की तारीख	परमिट प्राप्त करने वाले अनुज्ञाधारक का नाम और विवरण (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ई- मेल, वेबसाइट)	उन उपकरणों का विवरण जिनके लिए अनुमति दी गई है	स्टार स्तर या घोषित दक्षता स्तर	ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अनुमति संख्या और यूनीक लेबल सीरीज	अवधि जिसके लिए अनुमति दी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल सुरक्षा शुल्क की राशि	[क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट (विवरण)/ इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (विवरण): दिनांक :] द्वारा प्राप्त लेबल सुरक्षा शुल्क	प्राप्त आवेदन शुल्क की राशि	आवेदन शुल्क का विवरण प्राप्त राशि (क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट (विवरण) / इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (विवरण): तारीख:)
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लगाए गए लेबलों की कुल संख्या	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को देय लेबलिंग शुल्क की राशि	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त लेबलिंग शुल्क विवरण (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन विवरण): तारीख :)	टिप्पणियाँ
(12)	(13)	(14)	(15)

फॉर्म IV

[देखें विनियमन 7 का उप-विनियम (7)]

मौजूदा मॉडल पर लेबल चिपकाने की अनुमति को जारी रखने की मांग करने वाले अनुज्ञाधारक (परमिटी) द्वारा घोषणा

(प्रत्येक अलग-अलग मॉडल के लिए, संबंधित अनुलग्नक के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(कॉर्पोरेट निकाय/अनुज्ञाधारक के लेटर हेड पर)

तारीख:

सेवा में, महाप्रबंधक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथी मंजिल, सेवा भवन, सेक्टर 1, आर.के.पुरम,

नई दिल्ली-110 066, इंडिया।

विषयः ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियमन, 2022 के तहत लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन से प्रभावी स्टार स्तर के संशोधन पर।

1. मैं/हम रेफ्रिजरेटर के निर्माता/आयातकर्ता हैं जो [कंपनी के पूरे पते सहित कंपनी का नाम] में [व्यक्तिगत या फर्म का पूरा नाम] की शैली में कारोबार कर रहे हैं, एतद्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (रेफ्रिजरेटर पर लेबल के प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा यथा उल्लिखित तरीके से रेफ्रिजरेटर पर लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं, जिसका से स्टार स्तर के संशोधन किया जाएगा।

2. उपरोक्त उपकरण (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) द्वारा निर्मित या आयात किया गया है और इसे (कारखाने का नाम और पता) पर निर्मित किया गया है या (आयातकर्ता का नाम और पता) से आयात किया गया है।

3. न्यू स्टार स्तर के अनुरूपः मैं/हम तालिका के अनुसार तालिका परिवर्तन के अनुरूप हूँ/ हैं ... जैसा कि अधिसूचना संख्या एस ओ में निर्दिष्ट किया गया है। रेफ्रिजरेटर के लिएदिनांक...... उपरोक्त उपकरण/उपस्करों (जिसे पहले अनुमोदित किया गया था) के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की एक प्रति संलग्न है।

4. रेफ्रिजरेटर के संबंध में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के संशोधन के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।

5. स्टार स्तर के संशोधन के अनुसार उपकरण/मॉडल का विवरण

विवरण	घोषित मान		
कुल आयतन (लीटर)			
वार्षिक बिजली की खपत (किलोवाट घंटा / वर्ष)			
स्टार रेटिंग	(मौजूदा स्टार स्तर के अनुसार)	(संशोधित स्टार स्तर के अनुसार)	

मॉडल नाम - -----

6. मैं/हम मैन्युअल आवेदन के साथ-साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार स्तर को [मौजूदा स्टार लेबल स्तर] से [संशोधित स्टार लेबल स्तर] में बदलने के लिए सहमत हूँ/हैं।

7. मैंने/हमने उक्त रेफ्रिजरेटर मॉडल के लिए अब तक का अपना तिमाही उत्पादन डेटा और लेबलिंग शुल्क जमा कर दिया है।

8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

9. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

10. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और अनुमान के अनुसार सही है, और यदि दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो आवेदन को तुरंत अस्वीकार एवं खारिज किया जा सकता है। दिनांकित दिन (वर्ष).....

हस्ताक्षर	 	 •
नाम	 	
पद		
के लिए और की ओर से.	 	

(फर्म का नाम) फर्म की मुहर

फार्म V

[देखें विनियम 11 (3)]

आपत्ति, दावा और द्वितीय टेस्ट के साक्ष्य हेतू अनुज्ञापी को सूचना

सेवा में,

नई दिल्ली, तारीख

.....

.....

.....

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियमन 7 के प्रावधानों के अनुसार, विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पत्र संख्या ... दिनांकित......के तहत रेफ्रिजरेटर पर लेबल चिपकाने की अनुमति दी गई थी।

3. ब्यूरो ने अपनी पूर्वोक्त सत्यापन एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूने को परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला हेतू अधिसूचना संख्या एस.ओ....... के पैराग्राफ 3, 4 और 5 में इंगित परीक्षण प्रक्रिया अधिसूचना संख्या एस.ओ. के अनुलग्नक में दिए गए फॉर्म के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए मैसर्स -------- को भेजा था।

4. उत्पाद का विवरण और स्वप्रेरणा से परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) इस पत्र के साथ संलग्न हैं। इसलिए, अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त(तारीख) को (प्रयोगशाला का नाम) पर ब्यूरो अपना प्रेरक परीक्षण/चुनौती परीक्षण (आपत्ति, दावा और द्वितीय टेस्ट) आयोजित कर रहा है। 5. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के प्रावधानों के अनुसार, ब्यूरो इसके द्वारा सूचित करता है -

(i) नामित अधिकारी के नाम, पदनाम और हस्ताक्षर का संकेत (मूल रूप में) एक प्राधिकरण पत्र के साथ निर्दिष्ट उपरोक्त तारीख पर चुनौती परीक्षा / दूसरी परीक्षा देखने के लिए एक अधिकारी को नामित करें (पत्र पर विधिवत हस्ताक्षर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगाई जाएगी) कंपनी का)।

(ii) इस पत्र के जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर खरीद, परिवहन, परीक्षण और अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए ऐसी लागत जमा करें, जैसा कि अनुबंध में उल्लेख किया गया है (खर्च इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जमा किया जाएगा)।

6. आप ध्यान दें कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण (आपत्ति, दावा और द्वितीय टेस्ट) द्वारा सत्यापन जारी रखेगा, भले ही उपरोक्त खर्चे समय पर नहीं किए गए हों या अधिकारियों को निर्दिष्ट रूप के अनुसार नामित नहीं किया गया हो और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (व्यक्तियों और रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का तरीका) विनियम 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम

(5) के तहत इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाऐगी।

7. हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकितमाह.....म वर्ष......दिन।

संलग्नकः

1. उत्पाद का विवरण / स्वतः प्रेरणा परीक्षण के परिणाम

2. अनुलग्नक V(क)

3. खर्चों से संबंधित चालान

अनुलग्नक

[देखें फॉर्म V का पैरा 5]

सूचना का विवरण

1. चुनौती परीक्षण (आपत्ति, दावा और द्वितीय टैस्ट) के लिए उठाए गए उत्पाद या उपकरण विवरण

ब्रांड का नाम:
यूनीक लेबल सीरीज कोड:
मॉडल का नाम/मॉडल नंबर:
प्रकार:
कुल मात्रा (लीटर):
निर्माण का वर्ष:
वार्षिक बिजली खपत (किलोवाट घंटा/वर्ष)
स्टार स्तर

2. ब्यूरो को जमा की जाने वाली राशिः

विवरण	संख्या/खर्च (भारतीय रुपये में)
नमूनों की संख्या	
प्रति नमूना लागत	
कुल क्रय लागत	
कुल परीक्षण शुल्क	
परिवहन शुल्क (यदि लागू हो)	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अन्य (यदि लागू हो)	
परमिटी द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि	

3. आपके स्वत: किए गए टेस्ट परिणाम (यदि लागू हो) :

क्रमांक	ब्रैंड	मॉडल का	मापा गया मान		घोषित मान			टिप्पणियाँ	
सं.		नाम/संख्या	कुल	वार्षिक	स्टार	कुल	ऊर्जा	स्टार	
			मात्रा (लीटर)	बिजली की खपत	स्तर या ऊर्जा	मात्रा (लीटर)	खपत (किलोवाट	स्तर या ऊर्जा	
			(110)	(किलोवाट	दक्षता		/ वर्ष)	दक्षता	
				/ वर्ष)	स्तर			स्तर	

तारीख.....

(सचिव) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्रपत्र VI

[देखें विनियम 11 के उप-विनियम (5)] द्वितीय जाँच परीक्षण में विफल रहने पर अनुज्ञापी को निर्देश

सेवा में,

नई दिल्ली, दिनांक......

.....

.....

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी **(रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका)** विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के पत्र संख्या दिनांकित के तहत उसमें निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन रेफ्रिजरेटर पर लेबल चिपकाने की अनुमति दी गई थी।

3. ब्यूरो ने अपनी पूर्वोक्त सत्यापन एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूने को परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला हेतू अधिसूचना संख्या एस.ओ....... के पैराग्राफ 3, 4 और 5 में इंगित परीक्षण प्रक्रिया अधिसूचना संख्या एस.ओ. के अनुलग्नक में दिए गए फॉर्म के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए मैसर्स -------- को भेजा था। 4. विशिष्ट पहचान क्रमांक वाले नमूने पर परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। परीक्षण रिपोर्ट के परिणामों ने संकेत दिया कि नमूना रेफ्रिजरेटर प्रति वर्ष इकाइयों में बिजली की खपत, मानक, निर्दिष्ट कुल मात्रा आदि को पूरा करने में विफल रहा। और आपके द्वारा निर्मित/आयातित रेफ्रिजरेटरों पर लेबल लगाने की अनुमति मांगने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न फॉर्म 1 में आपके द्वारा प्रस्तुत परीक्षण विवरण के अनुरूप नहीं है। परीक्षण के परिणाम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के पत्र संख्या दिनांक द्वारा आपके अधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम से आपको भेजे गए थे। आपसे यह भी अनुरोध किया गया था कि नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में नमूनों के दूसरे चेक सत्यापन परीक्षण में भाग लें और देखें। मेसर्स

5. दूसरे चेक सत्यापन परीक्षण के लिए नमूना लिया गया था। दिनांकित...... हमारी अधिकृत एजेंसी मेसर्स के माध्यम से और परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड में ले जाया गया, मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला हमारी अधिकृत एजेंसी द्वारा ले जाया गया, मैसर्स द्वारा विधिवत मुहरबंद और से प्राप्त उक्त नमूने पर अंकित विशिष्ट पहचान क्रमांक दिया गया था, जिसके विधिवत अधिकृत सत्यापन एजेंसी के प्रतिनिधि और साथ ही आपके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर थे।

6. द्वितीय जाँच परीक्षण के परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सक्षम अधिकृत कर्मियों द्वारा पूरी तरह से जाँच और प्रतिहस्ताक्षरित हैं। दूसरे चेक परीक्षण के गवाह के रूप में परीक्षण रिपोर्ट पर आपके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। परीक्षण के परिणामों ने पुष्टि की कि एस ओ नंबरदिनांक में दिए गए अपेक्षित मापदंडों और मानकों और बाजार में निर्मित/आयातित और बेचे जाने वाले रेफ्रिजरेटरों पर चिपकाए गए लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए आपको दी गई अनुमति के नियम और शर्तें में को पूरा करने में विफल रहे।

7. अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर व्यक्तियों और उनके प्रदर्शन के तरीके) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के शक्ति प्रदत्त खंड (ए) का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो एतद्वारा सीधे :-

- (i) रेफ्रिजरेटर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक करें या परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करें;
- (ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; और
- (iii) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरणों को बदल लें।

8. आपको इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर उपरोक्त सुधारात्मक कार्रवाई को पूरा करने और दो महीने की समाप्ति के बाद 10 दिनों के भीतर फॉर्म टप् में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के 11 के तहत ब्यूरो विनियमन के उप-विनियम (6) के खंड (बी) के अनुसार कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेगा।

9. ब्यूरो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विनियम 11 के विनियमों (5) (6) (7) और (8) के विनियमों (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के संदर्भ में इस मामले में आगे की अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

दिनांक.....

(सचिव) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नकः

- 1. विफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
- 2. निर्माता के साथ पत्राचार

फॉर्म VII

[देखें विनियम 11 के उप-विनियम (6)] कार्रवाई की गई रिपोर्ट

(संस्था के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

तारीख.....

सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर.के.पुरम,

नई दिल्ली-110 066, भारत ।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, हम मैसर्स रेफ्रिजरेटर के निर्माता को .स्टार स्तरऊर्जा खपत मानक के अनुरूप ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का पत्र संख्या.....दिनांक......मॉडल नंबर...... के लिए रेफ्रिजरेटर पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (रेफ्रिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियमन 11 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार, हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या......दिनांक......दिनांक.......के माध्यम से आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी निर्देश के दृष्टिकोण में, हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

	कार्रवाई निर्देशित	अवस्थिति	कार्रवाई की
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के	हाँ/नहीं/लागू नहीं	स्टार स्तर को स्टार से
	लिए रेफ्रिजरेटर के लेबल पर प्रदर्शित		प्रभाव से सही कर
	स्टार स्तर को कर दिया गया है ।		दिया गया है से (दिनांक) ।
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के	हाँ/नहीं/लागू नहीं	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के
	लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले		लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले
	लिया गया है, इसके अलावा		लिया गया है ।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरण	हाँ/नहीं/लागू नहीं	हाँ/नहीं/लागू नहीं
	दिया गया है ।		

उपरोक्त घोषणा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी, अनुमान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर
नाम
पद
के लिए और की ओर से

(फर्म का नाम) फर्म की मुहर

अनुसूची

[देखें विनियमन 3 के उप-विनियम (2)]

रेफ्रिजरेटर के लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण।

(1) लेबल डिजाइन

(i) आयामः

(ii) कलर प्लानिंगः







63mm

नीला -

ह्यू (H) -239⁰° संतृप्ति (S): 64% चमक (B) : 59% चमक या हल्कापन (L): 28, रंगीन घटक - A : 24 B : 54 लाल (R): 54 हरा (G): 55 नीला (B): 151 सियान (C): 97% मैजेंटा (M): 95% पीला (Y): 6% काला (K): 1% वेब कलर कोड - #363797

हरा-

ह्यू (H) -150^{oo} संतृप्ति (S): 10% चमक (B): 67%, चमक या हल्कापन (L): 61, रंगीन घटक - A : -53 B : 32, लाल (R): 0 हरा (G)):170 नीला (B):87

सियान (C): 81% मैजेंटा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K) 1%,

वेब कलर कोड - #00AA56;

(2) लेबल सामग्री

लेबल टिकाऊ कार्डबोर्ड का होगा, अगर इसे स्विंग टैग के रूप में संलग्न किया जाना है, या स्वयं चिपकने वाला (सेल्फ ऐड्हीसिव) होना है और लेबल के लिए आयाम डिजाइन योजना में दिखाए गए रूपरेखाओं में से एक में काट दिया जाएगा"।

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2022

No. BEE/S&L/Ref/70/2021-22.- The following draft of certain regulations which the Bureau with the previous approval of the Central Government proposes in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 183(E), dated the 12th January, 2009 and S.O. 1899 (E), dated the 26th May, 2016 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, that is the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), is hereby published as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, R.K.Puram, Sector-1, New Delhi-110066;

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

1. Short title and commencement. -(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Definition: (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
 - (b) "refrigerators" means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;
 - (c) "Form" means a form appended to these regulations;
 - (d) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, refrigerator;
 - (e) "label period" means the validity period of the comparative electricity consumption under energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the validity period of the comparative electricity consumption

is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;

- (f) "models or family of models" means the model or range of models of one particular brand, to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, annual electricity consumption, energy efficiency level and performance characteristics;
- (g) "permitee" means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (h) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the refrigerator based on energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act to denote the comparative electricity consumption of refrigerator;
- (i) "trader or seller" in relation to any labelled refrigerator means a person who sells or distributes any such refrigerator and includes the shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such refrigerator.
- (j) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations;

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label. - (1) On every refrigerator, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

- (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (b) name of manufacturer or importer and brand;
- (c) appliance type;
- (d) total Volume;
- (e) model number and year of manufacturing or import;
- (f) unique series code;
- (g) electricity consumption in units per year;
- (h) star level; and
- (i) label period.

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels: - (1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every refrigerator within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller shall ensure that-

(a) the refrigerator put on sale shall display revised star level and revised label period synchronizing with the revised energy consumption standards and the manufacturing years of the refrigerator shall also be in synchronization with such revised energy consumption standards and shall not produce the refrigerator with the previous energy consumption standards;

(b) All preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers shall be well planned and taken six months in advance of the date of such commencement, under these regulations.

5. Manner of display of label.-(1) On every refrigerator, shall be displayed label along with QR code at the point of sale and such label shall be affixed on the refrigerator in the following manner, namely:-

- (a) self-adhesive label along with QR code affixed on the front side of the upper right portion of refrigerator;
- (b) self-adhesive label along with QR code affixed on the front side of the carton box.

(2) For refrigerator not on display, the label may be affixed to the exterior of the packing and the label may be attached to the unit when put on sale.

6. Permission for display of label. - (1) No star label shall be affixed on a refrigerator without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) Company registration.- For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I – (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

- (3)Model registration.- Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—
- (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode of payment; and

(b) documents specified in Form I - (B).

7. Grant of permission.- (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its Manual on standards and labelling, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, -

(a) register the brand in Form II-(A) in electronic form; and

(b) grant permission for affixing label on refrigerator in Form II-(B) in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.

(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee from six months but not later than three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

In case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

(5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.

(6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the refrigerator from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration in Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the refrigerator is planned to be launched to synchronise with the revised star level and application for such permission may be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label.- Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:-

- (a) the star level displayed on the label of refrigerator shall conform to energy consumption standards for refrigerator notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) the label shall be affixed only on such model of refrigerator for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the refrigerator at the cost of permittee;
- (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of refrigerator shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;
- (h) comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Operation Manual on Standards and Labelling.

9. Label fee.- (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of five rupees for each label affixed on the refrigerator.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security fee made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6, and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

10. Refund of label security fee.- Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture refrigerator.

11. Verification by Bureau.- (1) The Bureau or its designated agency may, either suo motu, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the refrigerator conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit and shall be subjected to a) energy consumption test b) Total volume and c) Pull down test.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the refrigerator in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau, and if the sample drawn under challenge testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges, shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then, the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

(4) Where samples of refrigerator used for testing fails the test during suo motu testing or challenge testing, the permittee shall be offered another opportunity and the Bureau shall conduct second test with twice the quantity of refrigerator used in the first test in an independent test

laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee. The Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.

(5) Where the second test fails, the Bureau shall,-

(a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months,-

(i) correct the star level displayed on the label of the refrigerator or remove the defects and deficiencies found during testing;

- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (iii) change the particulars displayed on advertising material;

(b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months;

(c) Intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(6) The permittee shall within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (5),-

- (a) send the compliance report in Form VII to Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and
- (b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(7) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.

(8) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,-

- (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;
- (b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (6) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;
- (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;
- (d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission.- The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee –

- (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
- (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;

(c) does not comply with the direction issued under regulation 11.

Provided that no permission shall be cancelled unless the permittee has been given an opportunity being heard in the matter.

ABHAY BAKRE, Director General [ADVT.-III/4/Exty./113/2022-23]

FORM I – (A)

[See regulation 6 (2)]

(To be printed on Company letter head)

Application for registration of brand of refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations, 2022

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India) 4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram, New Delhi – 110 066 India.

The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/Authorised person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm or other authorities. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

(b) Contact person (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above

3. Production and sale figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from			
to			
Current year from			
to (estimate)			

4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be has been paid by electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).

5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.

6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co- operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of (Year)

Signature Name

Designation
For and on behalf of

(Name of the firm) SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 2 of Form I – (A)]

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration:	
(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises	Yes/No
(b) Trade mark certificate	
(c) Small scale industries Certificate, if applicable	
(d) Quality Management System Certificate	
(e) Authorised signatory letter	

(f) stand	Bureau of Indian ards license, if applicable
(g)	payment receipt for
payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin code	
State / Country	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature

Name
Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm) Seal of the Firm

FORM I- (B)

[See regulation 6]

Application for permission to affix label on refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations, 2022

The Director General

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector - 1, R.K.Puram

New Delhi-110 066

India.

I/ We are the manufacturers or importers of refrigerators carrying out business at (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix
label on refrigerator as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of Label on Refrigerator) Regulations, 2022.

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by _____ (Name of the company) and is manufactured at _____ (Name and address of the factory)

3. Details of information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/authorized person: ______ (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.

(b) Contact Person: ______ (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above

4. Conformance to Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other international standards in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) ______ as specified in the notification on ______(title of the notification) for the ______ (name of the equipment). A copy of the License / certificate in respect of the above equipment is enclosed.

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory ______ or at NABL accredited laboratory ______ (Name and address of the laboratory) for ensuring consistency in quality of the equipment.

Independent Laboratory details:

- a) Test details (test procedure/ name/number)
- b) Accreditation status:
- c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from			
to			
Current year from			
to (estimate)			

6. (a) An application fee of two thousand rupees paid by electronic mode.

(b) A Label security fee of one lakh rupees or twenty five thousand rupees ______ has been paid by electronic mode.

(c) I/We agree to pay the labeling fee as specified by the Bureau.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the bureau in case of any enquiry to be made by it.

8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated this

day of	 (Year)
<i>aa</i> , or	 (I Cal)

Yours Faithfully,
Signature
Name
Designation
For and on behalf of

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 3 of Form 1(B)]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General

Equipment Type (for example, single door or double door, Direct cool, frost-free refrigerator, Side by side refrigerator) Operating principle (Compression) Climate class (Tropical T) Brand Model Name / Number Name of the manufacturer/Importer Address of the Manufacturer Rated Total Volume (litre) Month and Year of manufacturing Bureau of Indian Standards certificate details (if any) (Attach copy of the License / Certificate) Quality System certificate details (Attach copy of the License / Certificate) Annual Electricity Consumption (kWh per year) Pull down Time (minimum)

1.2 Technical details

Sl.	Model		Measured Value	es		Remarks		
No.	Name/ No.	Total Volume (litre)	Annual Electricity Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	Total Volume (litre)	Energy Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	

2. Details of the company

Name of the company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Name of the Authorized representative	

3. Details of the manufacturing premise

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Any other details	
Name of the Authorized representative	

4. Details of test laboratory

Name of the test Laboratory	
Accreditation status (Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Scope of Accreditation	
Address	
Pin Code	
State	

Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

5. Labeling information

Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of Energy Efficiency for the first year - for the second year -	
for the third year -	
Product Serial No.	From To

6. Payment details

	Total Amount	Details of Payment
Application Fee		
Security Deposit		

7. Specimen of the label to be affixed on the refrigerator is shown below:



Date

Signature	•••	•••	•••	•••	 •••	•••	••	 	••	 •••	•••	•
Name												

Designation

For and on behalf of.....

Name of the firm) SEAL OF FIRM

FORM II – (A)

[See regulation 7 (1) (a)]

Permission for registration of brand of refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations, 2022

New Delhi, dated.....

To

- 1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerator) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure to this letter.
- 2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the refrigerator shall conform to energy consumption standards for refrigerator notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the stamping of the label only on such model of refrigerator for which permission has been granted;
 - (c) the printing and affixture of the label on the refrigerator at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee ensuring that the star level displayed on the refrigerator shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;
 - (f) the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
 - (g) the permittee making available such other details of refrigerator as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
- 3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the refrigerator from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
- 4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
- 5. Signed, sealed and dated this..... day of month year.

Yours faithfully

(Secretary) Bureau of Energy Efficiency

Annexure

[See para 1 of Form II-(A)]

Details of Approvals

1. Details of the company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

2. Name of the brand registered:

- 3. Unique series code:
- 4. Other details if applicable:

Date:

Yours faithfully,

(Secretary) Bureau of Energy Efficiency

FORM II (B)

[Sub-regulation 7(1)(b)]

Permission / Renewal of Permission to affix label on refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of Refrigerator) Regulations, 2022

New Delhi, dated the.....

То

.....

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars** and Manner of their display on Label of Refrigerator) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure to this letter.

- 2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the refrigerator shall conform to energy consumption standards for refrigerator notified under clause (a) section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of refrigerator for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the refrigerator at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the refrigerator shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee of five rupees per label;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial

year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated systems;

- (g) the permittee shall make available such other details of refrigerator as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
- 3. This permission shall be valid for from toand may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the refrigerator from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.
- 4. The unique label series code assigned by Bureau of Energy Efficiency for the equipment is.....and should appear on the label as per the approved design.
- 5. Where the star level plans on review is modified by the Central Government, the star level of the refrigerator shall stand modified as follows:-

(a) if new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;

(b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.

6. Signed, sealed and dated this..... day of month..... year.

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure

[See para 1 of Form II (B)]

Details of Approvals

1. Details of the Equipment

Equipment and Type
Brand
Model Name / Number
Total Volume
Year of manufacturing

Sl.	Model	Measured Values				Remarks		
No.	Name/ No.	Total Volume (litre)	Annual Electricity Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	Total Volume (litre)	Energy Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	

6. Label Details

Equipment	
Туре	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model Name/Number	
Year of manufacturing	

Total Volume (litre)	
Annual Electricity Consumption (kWh/year)	
Star level	
Label period	

3. Specimen of the label duly approved by Bureau to be affixed on the refrigerator is shown below.





The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the refrigerator.

4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

Date

Signature	
Name	
Designation	
For and on behalf of	ī
(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM III

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee	Details of equipment for which the	Star level or Efficiency level	Bureau of Energy Efficiency	Period for which the permission has been granted
	- Chinission	(Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax No., E- mail, Website)	permission has been granted	declared	permission number and unique label series	graned
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of Label Security Fee	Label Security Fee received by (Crossed Demand Draft (Details)/Electronic transaction (Details): Date:)	11	Details of Application Fee Amount received (Crossed Demand Draft (Details)/Electronic transaction (Details) : Date :)
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labeling fee payable to Bureau of Energy Efficiency for each financial year	for each financial year	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

DECLARATION by Permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model (For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure) (On the letter head of Corporate body/Permittee)

Date:

То

THE DIRECTOR GENERAL BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY (MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA) 4TH FLOOR, SEWA BHAWAN, SECTOR 1, R.K.PURAM, NEW DELHI-110 066 INDIA.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations, 2022 on revision of star level effective from

1. I/ We are the manufacturers / importers of refrigerator carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on refrigerator as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations, 2022 which would go for revision of star level with effect from

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER)

3. Conformance to New Star level: I/We conform to the table change as per Table ... as specified in the notification number S.O. number.dated..... for refrigerator. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the refrigerator is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model	Name	_	

Particulars	Declared Values		
Total Volume (litre)			
Annual Electricity Consumption (kWh/year)			
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)	

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said refrigerator model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/we authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Ye	ear)
Signature	
Name	
Designation	
For and on behalf of	• • • •
(Name of the fin	m)

SEAL OF FIRM

FORM V

[See regulation 11 (3)]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

То

New Delhi, dated the.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations, 2022 you were permitted to affix label on the refrigerator vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations 2022, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled refrigerator from your authorized distributor/dealer/retailer vide Invoice numberdated...... for a price of Rs...... and lifted as a sample dated by _____ for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s , an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased refrigerator. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number------ was obtained from M/s......(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s.-----, a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3, 4 and 5 of the notification number S.O....dated...... for giving test report in accordance with the Form given in Annexure to the notification number S.O.

4. The details of the product and the *suo motu* test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations 2022, the Bureau is conducting *suo motu* test/challenge test (as applicable) on(date) at(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations 2022, the Bureau hereby intimates to-

- (i) nominate an official to witness challenge test/second test on the above date specified along with an authorization letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorized signatory of the company).
- (ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as mentioned in Annexure, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through electronic mode).

6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the aforementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations 2022.

7. Signed, sealed and dated this..... day of month year.

Enclosures:

- 1. Details of product/ *suo motu* test results
- 2. Annexure V(a)
- 3. Invoice related to the expenses

Annexure

[See para 5 of Form V]

Details of Information

1. Product or equipment details picked up for challenge test/second test

Brand name:
Unique label series code:
Model name/Model number:
Туре:
Total Volume (litre):
Year of manufacturing:
Annual Electricity Consumption (kWh/year)
Star level

2. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	
Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

3. Results of *suo moto* test (if applicable):

Sl. No.	Brand	Model Name/	Measured Values	Declared Values	Remarks
		No.			

		Total Volume (litre)	Annual Electricity Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	Total Volume (litre)	Energy Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	

Date.....

(Secretary) Bureau of Energy Efficiency

FORM VI

[See sub-regulation (5) of regulation 11]

Direction to Permittee on failure of second check testing

New Delhi, dated the.....

То

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator**) Regulations, 2022, you were permitted to affix label on the refrigerator vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated...... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under Regulation ... of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations, 2022, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled refrigerator from your authorised Distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a price of Rs...... and lifted as a sample datedby M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased refrigerator. The sample duly sealed by M/s...... bearing serial number......was obtained from M/s......(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency.

3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of S.O.numberdated the for giving Test Report in accordance with the Formgiven in Annexure to S.O. number...... dated the

4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled refrigerator failed to meet the electricity consumption in units per year, standard, specified total volume etc. and did not conform to the Test details furnished by you in Form 1 annexed to the Application submitted by you for seeking permission to affix label on the Refrigerators manufactured/imported by you. The Test Results were sent to you vide Bureau of Energy Efficiency letter No... dated......in the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory for M/s.....

5. The Sample for second check verification Test were picked up dated the through our authorised Agency M/s.and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by

M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained fromunder signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

6. The Test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O.number dated, and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Refrigerators manufactured/imported and sold in the market .

7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerator) Regulations, 2022, the Bureau hereby directs to :-

- (i) correct the star level displayed on the label of the Refrigerators or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (iii) change the particulars displayed on advertising material.

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5) (6)(7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency(Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerator) Regulations, 2022.

Secretary,

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model

2. Correspondence with the manufacturer

Form VII

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

Action Taken Report

(To be furnished on the letter head of the organisation)

То

THE SECRETARY,

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)

4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,

Dated.....

SECTOR 1, R.K.PURAM,

NEW DELHI-110 066

INDIA.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of Label Refrigerator) Regulations, their Display on of 2022, we M/s.....the manufacturer of refrigerator were permitted to affix label on the refrigerator conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....for the model number.....

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the refrigerator to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected fromstar tostar with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....

Name.....

Designation.....

For and on behalf of.....

Name of the Company/Firm etc

Seal of the Firm/Company".

SCHEDULE

[See sub-regulation (2) of regulation 3]

Particulars to be displayed on labels of refrigerator.

(1.) Label design

(i) Dimension:



(ii) Color scheme:



BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59% Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54 Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN -

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%, Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32, Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%, Web colour code - #00AA56;

(2) Label Material

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be selfadhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label".